प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/11/25	वकुलाए उप.। बहस हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र दि. 4/12/25 को पेश हो।
4/12/25	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/1/26 को पेश हो
8/1/26	पत्रावली पेश हुइ अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5.2.26 को पेश हो
5/2/26	वकु. उप.। बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रा.पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि दोनो पक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर होवे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

तारीख दायरा 10.08.2016

तारीख फैसला 05.02.2026

मिसल नं0
58/प्रा0पत्र/2016

1. महेश कुमार उर्फ मृत्युन्जय नाहर आयु 65 साल आ0 श्रीलाल जाति छीपा निवासी होटल गोकुल इन के पास नयापुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
2. गोपीबल्लभ उर्फ श्यामबिहारी आयु 57 साल आ0 श्रीलाल जाति छीपा निवासी रिद्धीराज टावर के पास मेन रोड कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल कलाल आयु 65 साल आ0 श्री खेमचंद जी जाति कलाल निवासी ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज0)
2. कुलदीप आयु 36 साल आ0 भंवरलाल जी, जाति कलाल नि. ग्राम जाखमुण्ड तह. तालेडा जिला बूंदी
3. पप्पू आयु 40 साल आ0 भंवरलाल जी जाति कलाल नि. ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री बृजमोहन गौतम
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :- श्री नन्दसिंह सौलंकी

- : : निर्णय : : -

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट)

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी जमाबंदी संख्या नया-113 पुराना- 94 की खसरा संख्या-259 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुर बावडी पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है उक्त भूमि राजस्व जमाबंदी सम्वंत 2069 से 2072 में प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। प्रार्थना-पत्र के चरण क्रम-2 में वर्णित भूमि में प्रार्थी क्रम-1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या- 2 का 3/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थना-पत्र के चरण क्रम- 2 में वर्णित कृषि भूमि के दक्षिणी ओर अप्रार्थीगण का सट कर ही खेत है। अप्रार्थीगण ताकतवर व्यक्ति है व जबरन ताकत के बल पर एक अवैध संगठन बनाकर भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है इसी उद्देश्य से प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य व खाते की उक्त भूमि के दक्षिणी दिशा की तरफ से पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा भूमि के लगवा पत्थरो का कोट बना रखा था, अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के उक्त पत्थरो के कोट को 5 फिट चौडाई में व करीब 80 फिट लम्बाई में हटाकर कब्जा कर लिया है व उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर अप्रार्थीगण रास्ता बना रहे है व शेष 256 फिट लम्बाई तक प्रार्थीगण की भुमि में जबरन कब्जा करके रास्ता बनाने में आमादा है व भूमि पर कब्जा करना चाहते है। यही वाद कारण है जो जून माह 2016 के अन्तिम सप्ताह से लगातार पैदा हो रहा है। प्रार्थीगण शांतप्रिय आदमी है व अपने स्वामित्व व आधिपत्य व खाते की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण स्वयं ताकत से जबरन प्रार्थीगण के खाते की भूमि पर दक्षिणी दिशा की 5 फिठ चौडाई में व 80 फिट पूर्वी दिशा की ओर लम्बाई में कब्जा कर अवैध, जबरन खाते की भूमि पर रास्ता बना लिया है व भूमि पर कब्जा कर लिया है व शेष 256 फिट लम्बी भूमि पर जबरन कब्जा करने में आमादा है जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई हक, अधिकार नहीं है प्रार्थीगण के द्वारा मना करने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम उक्त भुमि पर कब्जा कर जबरन रास्ता बनायेगे, अगर कोई बीच में आया तो जान से मार देगें । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना-पत्र के चरण क्रम- 2 मे वर्णित कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की 5 फिट चौडाई व पूर्व दिशा की ओर की लगभग 80 फिट लम्बाई की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किये हुये कब्जे को प्रार्थीगण को सोंपा जावे व अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना-पत्र के चरण क्रम- 2 में वर्णित खसरा नंबर 259 रकबा 10 बिस्वा ग्राम गोविन्दपुर बावडी की भूमि के किसी भी भाग. पर जबरन कब्जा नही करे, उपयोग-उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करे, जबरन रास्ता नही बनाये पत्थर के कोट को नही हटाये व किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे न स्वंय करे न ही अन्य से करवाये। मूल वाद के विचारण में काफी समय लगने की संभावना है और अप्रार्थीगण शीघ्र ही प्रार्थना-पत्र की चरण क्रम- 2 में वर्णित वाद

खसरा नंबर 259 रकबा 10 बिस्वा ग्राम गोविन्दपूर बावडी की भूमि के किसी भी भाग पर जबरन नही करे, उपयोग-उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, जबरन रास्ता नही बनाये पत्थर के कोट नही हटाये व किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे उक्त कार्य न तो स्वंय करें न ही अन्य से कराये ।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा नही किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि 574 पर वर्षो पुराना पत्थर का कोट बना रखा है जिस पर निर्मित रास्ते के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसका प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि उपज को लाने लेजाने हेतु निर्मित रास्ते के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण को नही वरन् अप्रार्थी सं0 1 को अपूरणिय क्षती होगी। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नही बनाया गया है प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0 2 व 3 का कोई संबंध ही नही है। फिर भी अप्रार्थी सं0 2 व 3 को पक्षकार बनाये जाने से वाद में अनावश्यक कुसंयोजन होने से भी यह वाद खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य मूलतः विवाद खातेदारी अधिकार की भूमि पर कृषि उपज व कृषि यंत्रों के परिवहन हेतु बनाये गये रास्ते को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दौराने बहस अथवा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश ही नही किया गया जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 की आराजी पर निर्मित रास्ते की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र वर्णित रास्ता किस के द्वारा एवं किसकी खातेदारी भूमि पर बना हुआ है, यह स्थिति अस्पष्ट है। यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर प्रमाणित होने है। इस स्टेज पर वाद वर्णित रास्ते बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। किन्तु मूलवाद के निर्णय तक पक्षकारों के मध्य शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं कृषि जोत पर आवागमन में असुविधा को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी आशिंक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि दोनो पक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये रखेंगें। किसी प्रकार का स्थाई अथवा अस्थाई निर्माण नही करे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी